रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2012/आषाढ़ 8, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 78
No. 113] DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2012/ASADHA 8, 1934 [N.C.T.D. No. 78

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जून, 2012

सं. एफ. 1/49/2006/गु.चु.नि./811.—इस निदेशालय की अधिसूचना सं. एफ. 1(29)/98/नि.गु.चु. दिनांक 8 अक्तूबर, 1999 के तारतम्य तथा आंशिक संशोधन अधिसूचना संख्या एफ. 1(29)/98/गु.चु.नि./883 दिनांक 8 मई, 2002 व संख्या एफ. 1(62)/गु.चु.नि./2008/(ii) 1695 दिनांक 28-07-2006 के अतिक्रमण में, मैं, एस.एस. सिद्धु, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव दिल्ली, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1974 की नियमावली, 14 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गुरु सिंह सभा (रजि.), मुख्यालय आई-2, जंगपुरा-बी, नई दिल्ली-110014, मान्यताप्राप्त धार्मिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह 'किताब' आवंटित करता हूँ, जिसका प्रयोग उस दल द्वारा नामांकित उम्मीदवारों द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के चुनावों में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा, जैसे:—

(i) इस आशय की घोषणा उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में कर दी हो;

(ii) इस आशय का नोटिस, उम्मीदवारी नामांकन करने की अंतिम तिथि अपराह्न 3.00 बजे से पहले, वार्ड के निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में दिया जा चुका हो; और

(iii) उक्त नोटिस पर दल के प्रधान/सचिव अथवा अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों तथा प्रधान/सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारी को दल द्वारा ऐसा नोटिस भेजने के लिए अधिकृत किया गया हो तथा संबंधित प्रधान/सचिव या अन्य पदाधिकारी का नाम और उसका हस्ताक्षर नमूना संबंधित वार्ड के निर्वाचन अधिकारी और निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय, दिल्ली को अग्रिम रूप से प्रेषित किये गए हों;

(iv) धार्मिक दल द्वारा कम से कम 5 अलग-अलग वार्डों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के अग्रिम आम चुनाव लड़े जाने चाहिएं;

(v) धार्मिक दल द्वारा अपने पदाधिकारियों का विवरण हर साल जनवरी महीने में तथा समिति के चुनाव होने के एक महीने के भीतर निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव को सूचित किया जाएगा;

(vi) धार्मिक दल के उम्मीदवारों को अपने पक्ष में अगले आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों के कम से कम छह प्रतिशत मत प्राप्त करने होंगे।

(2) उपरोक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

(i) सूची बी-अनारक्षित चुनाव चिन्हों में, अंक व अक्षर '9-किताब' का लोप किया जाएगा।

(ii) सूची ए-आरक्षित चुनाव चिन्ह के अन्तर्गत अन्त में 'किताब' जोड़ा जाएगा।

एस. एस. सिद्धु, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों के लिये
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार — अध्यक्ष 2. विभाग में प्रधान सचिव/ संबधित सचिव — सदस्य 3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो। — सदस्य
13.	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. गुप्ता, उप निदेशक (सचिवालय शाखा)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 29th June, 2012

No. F. 2(126)/2011–SB/RR/676.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 24/78/68-DH(S) dated 24th September, 1968, the Lt. Governor to National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Services Commission is pleased to -

(a) make the rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of (i) Professor (Technical/Non-Technical), (ii) Associate Professor (Technical/Non-Technical) and (iii) Assistant Professor (Technical/Non-Technical) in Ch. Brahm Prakash Government Engineering College, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi

(b) to cancel recruitment rules for the posts of (i) Professor (Technical/Non-Technical), (ii) Assistant Professor (Technical/Non-Technical) and (iii) Lecturer (Technical/Non-Technical) in Ch. Brahm Prakash Government Engineering College, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi notified vide Notification No. F.2(126)/CBPGEC/2010/1031 dated 01/07/2010